


12.9.2018


प्रार्थी/प्रार्थीगण की ओर से प्रा.पत्र वकील श्री भवानी सिंह  
सोलंकी द्वारा विरुद्ध अप्रार्थी/अप्रार्थीगण  
पेश किया गया। अतः प्रार्थी/प्रार्थीगण का वाद विरुद्ध  
अप्रार्थी/अप्रार्थीगण पूरवशम वर्ग

अन्तर्गत धारा 212 B 1 A राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955/  
राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 के तहत दर्ज रजिस्टर हो।  
अप्रार्थी/अप्रार्थीगण की जरिये नोटिस तलबी जारी होकर पत्रावली  
दिनांक 29/10/18 को पेश हो।

  
उपखण्ड अधिकारी  
रावपुर (पाली)

2399  
8/10/2018

वकुलाय उपास्थित।  
आज श्रीमान् पीठासीन अधिकारी महोदय,  
अन्य राजकीय कार्य में व्यस्त है/भ्रमण पर  
है/अवकाश पर है। अतः पेशी इत्तया होकर  
पत्रावली दिनांक 10.10.2018 को पेश हो।

  
रीडर  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
उपखण्ड मजिस्ट्रेट, रावपुर


30/10/2018

पत्रावली पेश हुई

वकील प्रार्थीगण उषा

प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र पर पत्रावली दि. 10.10.18 के आठ दिनों  
में पेश हुई

वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र पेश कर विवेक कि  
कि उक्त प्रार्थना पत्र में पक्षकारों के मध्य सामाजिक स्तर  
से निस्तारण हो गया है। उक्त प्रार्थना पत्र आगे नहीं  
चलाना चाहते हैं अतः पत्रावली Not Press करते हैं  
पत्रावली नोट प्रेस होने से खरीज होकर दर्ज नम्बर  
रुक गया है।

  
उपखण्ड अधिकारी  
रावपुर (पाली)

Note Press  
Beet  
30/10/18

